राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 647/2016
श्रीमती सिकोरीदेवी व अन्य बनाम सुमनदेवी व अन्य

दिनांक – 29.4.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री राजपाल चौधरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी।

अपीलार्थीगण-क्लेमेन्ट्स की ओर से यह सिविल विविध अपील मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीकर द्वारा क्लेम याचिका संख्या 253/2013 में पारित निर्णय दिनांक 19.9.2015 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकरण के तथ्यों में जाने से पूर्व कथन किया कि विद्वान अधिकरण ने अपना निर्णय पारित करते समय इस अपील में उठाये गये आधारों पर गौर नहीं किया। उनका कथन है कि विद्वान अधिकरण ने विवाघक संख्या 2, 3 व 4 का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत पारित किया है। अत: अपीलाधीन निर्णय को उक्त विवाघक की सीमा तक अपास्त करते हुए मामले को अधिकरण को पुन: निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ वापिस भेजा जावे।

प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। किन्तु उनका कथन है कि यदि प्रकरण को पुन: सुनवाई कर निर्णीत किये जाने हेतु अधिकरण को भेजा जाता है तो अधिकरण को निर्देश दिया जावे

कि वे उन्हें भी सुनकर एवं यदि उनके द्वारा कोई विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये जावें तो उन पर भी गौर करते हुए अपना निर्णय पारित करे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं अपीलाधीन निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.9.2015 को विवाघक संख्या 2, 3 व 4 की सीमा तक अपास्त करते हुए मामला अधिकरण को पुन: निर्णय हेतु भेजा जाकर उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इस अपील में लिये गये आधारों एवं यदि पक्षकारान द्वारा उनके समक्ष कोई विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये जावें तो उनके प्रकाश में विवाघक संख्या 2, 3 व 4 के सम्बन्ध में अपना निर्णय सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुन: पारित करते हुए मामले का शीघ्र निस्तारण करे। किसी पक्षकार के उनके समक्ष उपस्थित नहीं होने की अवस्था में उनकी उपस्थिति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करे। क्लेमेन्ट्स को अवार्ड की पूर्ण या आंशिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उक्त राशि अधिकरण के निर्णय तक वसूल नहीं की जावे। पक्षकारान अधिकरण के समक्ष दिनांक 1.8.2016 को उपस्थित हों।

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत इस अपील का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश

All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.

SK Sharma
DR